an>

Title: Regarding railway reservation/cancellation policy.

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से लोकहित का एक अति महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाना चाहता हूं। ...(व्यवधान) हाल ही में रेल मंत्रालय ने अपने आदेशानुसार रेल आरक्षण रद्दीकरण में भारी फेरबदल किया है। ...(व्यवधान) जिससे रेल यात्रियों को भारी दिक्कत के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ...(व्यवधान) ऐसा लगता है कि अब रेल प्रशासन ने टिकट कैंसिलेशन की प्रक्रिया को जटिल बनाने के साथ ही आय का जरिया भी बना लिया है। ...(व्यवधान) रेलवे ने रेलवे यात्री नियम (टिकट निरस्तीकरण एवं भाड़े की वापसी, 2015) को संशोधित करके 12.11. 2015 से टिकट रद्द करने के शुल्क को दोगुना कर दिया है। ...(व्यवधान) कैंसिलेशन के अलावा रेलवे प्रति यात्री न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क में भी भारी बदलाव किया है। ...(व्यवधान) इसके तहत एसी प्रथम श्रेणी के लिए 120 रुपये, एसी द्वितीय श्रेणी के लिए 100 रुपये, एसी तृतीय श्रेणी और चेयर कार के लिए 90 रुपये, स्लीपर श्रेणी के लिए 60 रुपये और द्वितीय श्रेणी के लिए 30 रुपये होंगे। ...(व्यवधान) पुनरीक्षित नियमों में तय किया गया है कि ट्रेन के निर्धारित स्थान से पहले 12 घंटे और चार घंटे के बीच टिकट रद्द कराने पर सिर्फ 50 फीसदी शुल्क ही मिलेगा। ...(व्यवधान) संशोधित रिफंड नियमों के अनुसार अगर आप चार घंटे बाद आरक्षण रद्द कराते हैं, तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा।...(व्यवधान)

रेल मंत्रालय के अनुसार टिकट एजेंटों को हतोत्साहित करने तथा उन पर अंकुश लगाने के लिए नियमों को संशोधित किया गया है। लेकिन शायद रेल मंत्रालय ने आम पैसेंजर को होने वाले आर्थिक नुकसान के ध्यान में नहीं रखा है। इन पैसेंजर्स में वे लोग भी सम्मिलित हैं जो किसी इमरजेंसी के कारण अंथवा रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाने के कारण ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं।

इन सब मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मेरा माननीय रेल मंत्री जी निवेदन करना चाहता हूं कि इन नियमों को तत्काल वापस लिया जाए और वर्ष 2012 के नियमों को लागू किया जाए।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री रवीन्द्र कुमार जेना और

श्री मोहम्मद बदरूदोज़ा खान को श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।